

सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय,
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।

क्रिय : सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं हेतु शौचालय सुविधाओं का पूर्णतया अभाव

मान्यवर,

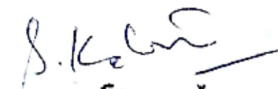
निवेदन है कि देश भर के कस्बों, शहरों तथा महानगरों के सार्वजनिक स्थलों जैसे- बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सभा-समारोह तथा धार्मिक स्थलों इत्यादि पर मूल-मूल त्याग हेतु सुविधाओं का लगभग पूर्ण अभाव है ।

महोदय, स्थिति यह बनी हुई है कि जहाँ कहीं सार्वजनिक स्थल पर ऐसी सुविधाएँ दी गई हैं, वे केवल पुरुष पेशाबघर के रूप में ही हैं । महिलाओं के लिए पेशाबघर या शौचालय बनाना प्रायः किसी भी नगरनिगम या नगर पालिका द्वारा उचित नहीं समझा गया है । दुःखद बात यह भी है कि छोटे शहरों के बस स्टैंड या बड़े शहरों के भीड़ भरे बाजारों में जो पुरुष पेशाबघर बने हैं वे भी अशोभनीय हैं । अधिकांश जगहों पर केवल एक तरफ की दीवार बना दी गई है अर्थात् मूल त्याग करते हुए पुरुषों की पीठ तथा अशोभनीय दृश्य इस देश में आम बात है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना है कि कृपया इस दिशा में ठोस कदम उठाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों को निर्देशित करने का श्रम करावे क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में इस प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य का प्राथमिक दायित्व है

सादर

प्रार्थी


§ डॉ. सुरेन्द्र कटारिया §

73/54 ए, मानसरोवर

जयपुर-302020